

Attachement 2.10 (A)

क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का निरीक्षण आख्या

परियोजना का नाम :-सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 हे० सिविल, 1.322 हे० वन पंचायत, कुल 1.632 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनु० के शासनादेश सं० 883 (1)/10-3-2011-8 (21)/2010 दिनांक 4/10/2011 के अनुसार सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित की गई समस्त वन भूमि हे० एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.274 हे० को सम्मिलित करते हुए कुल 1.632 हे० वन भूमि का तहसील स्तरीय कमेटी द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या दिनांक द्वारा निम्न क्षेत्र प्रस्तावित किये गये है।

1.632 हे० वन भूमि के एवज में दुगने क्षेत्रफल हेतु कुलिंग सिविल 3.264 हे० भूमि सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तावित दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उक्त स्थलों की भूमि वन विभाग के हक में संस्तुति की जाती है।

अधिशायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
थराली (चमोली)


सहायक अभियन्ता


तहसीलदार
नारायणबगड़


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)